पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी, 2011 ई0 (माघ 02, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	13–19	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	17–18	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

03 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 38नो0बी/xxxvi(1)/2010–49/2009–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री शिव शरण नाथ शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 03–12–2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री शिव शरण नाथ शर्मा, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 38 no.B/xxxvi(1)/2010-49/2009,** dated December 03, 2010 :--

NOTIFICATION

Appointment

December 03, 2010

No. 38 no.B/xxxvi(1)/2010-49/2009--In exercise of the powers given under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Shiv Sharan Nath Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from dt. 03-12-2010 for Tehsil Roorkee, District Hardwar and in exercise of the powers given under sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Shiv Sharan Nath Sharma, Advocate be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary, Law-cum-LR.

सूचना अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

10 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 838/XXII/2010–6(4)2010–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा–2008 के आधार पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार त्रिपाठी, पुत्र स्व0 श्री सत्य देव त्रिपाठी, निवासी म0न0–213, राहुल नगर (मड़या), आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड सूचना निदेशालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून में सम्पादक के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 (पूर्व वेतनमान ₹ 8,000–13,500) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–श्री त्रिपाठी की सेवायें उत्तरांचल सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, राजपत्रित सेवा नियमावली–2006 तथा उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली–2010 के संगत सेवानियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होंगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2–उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3–श्री आशीष त्रिपाठी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान रिपोर्ट महानिदेशक/निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4–परिवीक्षा के दौरान श्री त्रिपाठी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

5–महानिदेशक/निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्नवत् सूचनायें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी :–

5.1–मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

5.2–समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जिसके वे स्वामी हों।

5.3–अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

5.4–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।

5.5–इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने का प्रमाण–पत्र।

5.6–दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनसे सम्बन्धित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

5.7–शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

5.8–लिखित रूप से एक "Undertaking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

5.9–आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जांच, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

6–यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या–1936 (एम0एस0) के0सी0 मिश्रा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–94(एस0बी0) 2009, विजय प्रसाद थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

अतः श्री आशीष कुमार त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक महानिदेशक/निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, 12 ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 के0 कोटिया,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

01 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 1712/XXX–1/2010–26(13)/2010–श्रीमती गीता रानी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 24–9–2010 द्वारा विवाहोपरान्त अपना नाम गीता रानी से श्रीमती गीता चौहान संशोधित किए जाने का अनुरोध किया है।

2–अतः शासन द्वारा उनके अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीमती गीता रानी का नाम शासकीय अभिलेखों में परिवर्तित कर श्रीमती गीता चौहान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डी0 के0 कोटिया,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

विज्ञप्ति/स्थायीकरण

15 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 2292/VIII/10–08(ई0एस0आई0)/2010–डा0 नरेश कुमार, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा चयनोपरान्त श्रम अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4199/36–7–5(52)/91, दिनांक 2 दिसम्बर, 1992 द्वारा की गई है, को उनकी दीर्घ अवधि की सेवा के दृष्टिगत स्थायी किया जाता है।

2–डा0 नरेश कुमार, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर स्थायीकरण के आदेश परिवर्तनीय होंगे।

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 12 नो(डी0) xxxvi(1)/2010–06 नो0(डी0)/2008–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 10(क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–10 नो0(डी) xxxvi(1)/2008–06 नो0(डी)/2008, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 द्वारा नियुक्त कु0 अर्चना रानी, नोटरी/अधिवक्ता, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल को उनके अनुरोध पर दिनांक 28–09–2010 से नोटरी पद से कार्यमुक्त करते हैं और नोटरी रूल्स 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि कु0 अर्चना रानी का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखी गयी नोटरी पंजिका से हटा दिया जाय।

राम सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

गृह विभाग

अधिसूचना

नियुक्ति

04 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 964/XX(1)/28/पीपीएस/2005—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2006 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक वेतनमान (रु0 15,600—39,100, ग्रेड पे— रु0 5,400) के पद पर उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें जो समय—समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी, के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम व पता
1.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, 27/3 C, भुलई का पुरा, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश—211004
2.	श्रीमती जया बलोनी, ग्राम एवं पत्रालय—गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून—248001।

1—उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। यदि अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2—उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या—1936 (एम0 एस0) के0 सी0 मिश्रा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य तथा रिट याचिका संख्या—94 (एस0बी0) 2009 विजय प्रसाद थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3—परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4—संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम नियुक्ति पर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों द्वारा निम्नवत् सूचनायें/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी :—

4.1 अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा—पत्र।

4.2 समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

4.3 एक से अधिक पति/पत्नी न होने का घोषणा—पत्र/शपथ—पत्र।

4.4 इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।

4.5 दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवाओं में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण—पत्र।

4.6 शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण—पत्र एवं एक—एक प्रमाणित प्रति।

4.7 लिखित रूप में एक "UNDER TAKING" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

4.8 उत्तराखण्ड महिला वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के स्थाई निवास प्रमाण—पत्र की जांच सम्बन्धित जिलाधिकारी से कराये जाने के उपरान्त यदि प्रमाण—पत्र जाली एवं त्रुटिपूर्ण पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

अतः उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, अन्यथा यह समझा जायेग कि वे उक्त पद कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कर ली जायेगी।

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

संख्या 513/XXVIII–3–2010–200/2007

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–3

देहरादून : दिनांक 16 जुलाई, 2010

विषय : चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष/महिला) के कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय, दिनांक 01–12–1997 एवं 08–01–2008 के अनुक्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–09–2008 के माध्यम से अपास्त की गयी विशेष अपील के दृष्टिगत् प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष/महिला) के कार्मिकों के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में अंकित वेतनमानों को स्तम्भ–2 के अनुसार प्राकल्पित आधार पर तथा दिनांक 01–07–2010 से वास्तविक रूप से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

	स्तम्भ–1 (पूर्व वेतनमान)	स्तम्भ–2 (पुनरीक्षित वेतनमान)
(एक)	01.07.1979 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 354–550	01.07.1979 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 400–10–450–12–474–द0रो0–12–570–15–615
(दो)	23–07–1981 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 400–10–450–12–474–द0रो0–12–570–द0रो0–15–615	23–07–1981 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 470–15–575–द0रो0–15–650–17–701–द0रो0–735
(तीन)	01–01–1986 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 975–25–1150–द0रो0–30–1660	01–01–1986 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 1350–30–1440–40–1800–द0रो0–50–2200
(चार)	01–01–1996 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 3200–85–4900	01–01–1996 से– स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) रु0 4500–125–7000

2–यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–2943/XXVII(7)प0प्रति0/2010, दिनांक 16–07–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 हिन्दी गजट/5–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी, 2011 ई0 (माघ 02, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 04, 2011

No. 01/UHC/XIV/45/Admin. A--Sri Rajendra Singh, District & Sessions Judge, Champawat, is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 15.11.2010 to 28.11.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

January 05, 2011

No. 02/XIV/56/Admin. A/2003--Sri Dhananjay Chaturvedi, Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 20.12.2010 to 29.12.2010 with permission to prefix 17.12.2010 as Moharram holiday and 18.12.2010 & 19.12.2010 as Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

January 06, 2011

No. 03/UHC/Admin. A/2011--Sri Yogesh Kumar Gupta, Addl. District & Sessions Judge/ 3rd F.T.C., Dehradun is hereby appointed Special Judge (E.C. Act) under section 12 A (2) of Essential Commodities Act, 1955, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

U. C. DHYANI,
Registrar General.

January 06, 2011

No. 04/XIV/39/Admin. A/2008--Sri Laxman Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, Distt. Uttarkashi, is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 17.11.2010 to 16.12.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 हिन्दी गजट/5–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।